AAP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी (SDM) मुकाम खाचरियावास

मुकदमा अन्तर्गत धारा 9 R&CPC बनाम बन सिंगाराम

नं. 182/2019 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/19	राजाराम का पत्र अन्तर्गत धारा 9 R&CPC का वकील प्रार्थी पेश किया गया और दर्ज रजिस्टर किया गया। मुकदमा लम्बा पेश मिसल दिनांक 11/11/2019 को पेश हो।	
11.11.19	आज श्रीमान ए.डी.एम. / एस.डी.एम. साहब दौरे / अवकाश पर हैं। पेशी इत्तला की जावे पत्रावली तारीख 10/12/19 को पेश हो	
10/12/19	पत्रावली पेश है। विद्वान प्रार्थी का / मुकदमा लम्बा पेश है। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर बयान किया कि दिनांक 16/7/19 को अति आवश्यक होने पर प्रार्थी के पक्ष से वकील वादी, आमलाल हाजिर नहीं होने से पत्रावली उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी का मुकदमा खारिज हो गया है। मुकदमा फिर से प्रार्थी को बाद में खारिज हो गया है। मुकदमा फिर से प्रार्थी को बाद में सम्बन्धित पत्रावली देने का अवसर देते हुए पत्रावली पुनर्जीवित कर नम्बर पर लिये जाने का आदेश प्रदान करें। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन चिन्तन किया गया। आदेश दिनांक 16/7/19 का अवलोकन किया गया। बाद मनन चिन्तन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी का मुकदमा अन्तर्गत 16/7/19 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज हो गया है। मुकदमा फिर से प्रार्थी को बाद में पैरवी हेतु सम्बन्धित अवसर दिया जाना उचित है अतः प्रार्थी के मुकदमा सं. 127/18 आमलाल जागराम V/S बनसिंगाराम का पुनर्जीवित कर नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। मिसल पत्रावली अग्रिम नम्बर के रूप में मुकदमा के साथ नत्थी हो।	

(महावीर सिंह)
R.A.S.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2019.12.30 22:30:31 IST
Reason: SelfAttested